

उनवान

राजेश पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर निवासी
सिघान जट्ट पाली तहसील सूरौठ जिला करौली

—वादी


बनाम

अमरसिंह पुत्र किशोरी जाति जाटव निवासी सिघानजट्ट पाली तहसील सूरौठ जिला करौली

—प्रतिवादीगण-69

दिनांक	फर्द अहकाम
6/3/2025	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p style="text-align: right;">2572-264 19/3/25</p>
22 ⁴ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाव उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते..... इलजार् इति तलबाम्</p> <p>..... दिनांक 28-7-25 को पेश हो।</p>
20 ⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने के पश्चात भी वादीगण एवं उल्लेख वकील उपस्थित नहीं हुए इसलिए पत्रावली अदम पैरती अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। सु० नं. 42/2025 मिसल आई डी० नं. 2025/85 सब उनवानी राजेश बनाम अमर सिंह दावा बाबत तमास्मा आराजीयात एवम स्थायी निवैप्यादा अन्तर्गत धारा 53 व 108 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अदम हाजिरी अदम पैरती में खारिज किया जाता है।</p>

पत्रावली पैसल शुमार होम्द बाड तम्मील
नं. से रम की जासुदयित फुटु हो।
आदेश खुले न्यायालयमें

सुनाया गया 

जासुदयित फुटु न्यायालय

जासुदयित फुटु न्यायालय

जासुदयित फुटु न्यायालय

जासुदयित फुटु न्यायालय

जासुदयित फुटु न्यायालय

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]